संख्या-61/2018-2843/58-2018-202/2018

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांक 20 दिसम्बर, 2018**

विषयः- बुन्देलखण्ड पैकेज के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-25/2018/118बीपी/35-1/2018, दिनांक 20.9.2018 एवं आपके पत्र सं0-डी0एच0(जी) 191/स्था0-1/अति**0**प्र0, दिनांक 14.11.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत माइक्रोइरीगेशन एवं पोस्ट हार्वेस्ट कार्यक्रम में राइपनिंग चेम्बर प्याज भण्डारगृह पैक हाउस व छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना मुख्य रूप से आच्छादित है। विभाग में इस प्रकृति के कार्यक्रम पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) एवं एकीकृत बागवानी मिशन के रूप में क्रियान्वित है। उक्त के तर्ज पर इन कार्यक्रमों का भी कार्यान्वयन पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल **upagriculture.com** पर पंजीकरण के अनुसार प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर डी0बी0टी0 प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत पोर्टल पर पूर्व में पंजीकृत ऐसे कृषकों को भी लाभान्वित किया जा सकेगा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) और एकीकृत बागवानी विकास मिशन से लाभ प्राप्त न किये हों।

2- योजना का कार्यान्वयन जनपद स्तर पर संबंधित जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान द्वारा मण्डल स्तर पर पर्यवेक्षण मण्डलीय उप निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा। मुख्यालय स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य नोडल अधिकारी राज्य औद्यानिक मिशन द्वारा किया जायेगा। योजनान्तर्गत माइक्रोइरीगेशन कार्यों के लिए कियान्वयन हेतु लिंक अधिकारी के रूप में कीट विशेषज्ञ (मु0) तथा पोस्ट हावेस्ट कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उप निदेशक (खाद्य प्रसंस्करण)/मिशन मैनेजर (पोस्ट हार्वेस्ट) से कार्य कराया जायेगा।

3- प्रश्नगत कार्यक्रमों में डुप्लीकेसी न हो इसके लिए बुन्देलखण्ड पैकेज में आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 01.01.2019 से किया जायेगा अर्थात पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) एवं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत धनराशि का उपयोग 31.12.2018 तक किया जा सकेगा। योजनान्तर्गत वेबसाइट पर पूर्व पंजीकृत कृषक बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगें बशर्ते उन्होने समान कार्यक्रमके लिए अन्य योजना से लाभ न लिया हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशालय उद्यान स्तर पर निम्नवत नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी नामित किया जाता है :-

क्र0 सं0	**अधिकारी का नाम**	**बुन्देलखण्ड पैकेज हेतु नामित पद**	**अभ्युक्ति**
1	डा0 एस0बी0 शर्मा संयुक्त निदेशक (खाद्य प्रसंस्करण)/नोडल अधिकारी राज्य औद्यानिक मिशन	नोडल अधिकारी बुन्देलखण्ड पैकेज	वर्तमान कार्यों के साथ-साथ अतिरिक्त कार्य
2	डा0 एन0एल0एम0 त्रिपाठी कीट विशेषज्ञ/सहायक नोडल अधिकारी पी0एम0के0एस0वाई0	सहायक नोडल अधिकारी माइक्रोइरीगेशन	--तदैव--
3	श्री प्रवीन कुमार उप निदेशक (खाद्य प्रसंस्करण)/मिशन मैनेजर पोस्ट हार्वेस्ट	सहायक नोडल अधिकारी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट/इन्फ्रास्ट्रक्चर	--तदैव--

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या:61/2018-2843(1)/58-2018, तददिनांक</u> :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) संबंधित नोडल अधिकारी (द्वारा-निदेशक)
(3) नियोजन अनुभाग-1 उ0प्र0शासना।
(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in